न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29/2012/प्रा.पत्र/2012	23.08.2012	15.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री नन्दलाल साहू पुत्र श्री गोपाल लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू टी स्टॉल एवं मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 तमोलियों का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थी अनु.।

:–निर्णय–: **दिनांक 15.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.05.2012 को समय 02:50 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स साहू टी स्टॉल एवं मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री नन्दलाल साहू पुत्र श्री गोपाल लाल साहू उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नन्दलाल साहू ने स्वयं को मैसर्स साहू टी स्टॉल एवं मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक का एफ.बी.ओ. होना बताया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य मिठाईयों के साथ एक प्लास्टिक के कट्टे में अनुमानित 25 किलोग्राम **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** रखी हुई थी जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री नन्दलाल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री नन्दलाल साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, एक किलोग्राम खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** एक किलोग्राम को बराबर–बराबर चार भाग कर 250–250 ग्राम चार साफ व सूखे कॉच के जार में भरा व प्रत्येक जार में 20–20 बूंदें फॉर्मेलिन की प्रिजर्वेटिव के तौर पर डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक I–321 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–321 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./12/2046 दिनांक 11.06.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/531/एफएसएसए/2012/533 दिनांक 01.06.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 02.12.2013 को श्री विकम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 21.03.2014 को जवाब प्रस्तुत कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस नहीं की गई। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावे से निर्मित मिठाई (बर्फी)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होने से अप्रार्थी श्री नन्द लाल साहू पुत्र श्री गोपाल लाल साहू पर शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0